


होटल प्रबन्ध और खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान  
INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY

(पर्यटन मंत्रालय के अधीन का स्वायत्त निकाय), भारत सरकार,

(An Autonomous Body under Ministry of Tourism), Government of India,

जी.वी. राजारोड, कोवलम, तिरुवनन्तपुरम, केरल

KOVALAM, THIRUVANANTHAPURAM, /KERALA



सं/आईएचएम.सी.टी.प्रशा.हि.पखवाडा./2023 : 227

दिनांक:09.09.2023

परिपत्र

विषय: हिंदी पखवाड़े का आयोजन – के संबंध में।

दिनांक 12.07.2023 को संपन्न इस कार्यलय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2023 के हिंदी पखवाड़े का आयोजन दिनांक 14 सितंबर से 28 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। इस दौरान आयोजित की जानेवाली प्रतियोगिताओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

1.	14.09.2023	11 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न से	उद्घाटन समारोह/Inaugural function <u>स्टाफ के लिए प्रतियोगिता/Competitions for Staff</u> 1. हिन्दी में निबन्ध प्रतियोगिता 2. तज़वीर क्या बोलती है? (मौखिक) 3. टर्मिनॉलजी/Terminology
2.	15.09.2023	11 बजे पूर्वाह्न से	<u>चतुर्थ श्रेणी स्टाफ के लिए प्रतियोगिता/Competitions for Class IV Staff</u> हिन्दी श्रुतलेखन प्रतियोगिता
3.	15.09.2023	2 बजे अपराह्न से	<u>छात्रों के लिए प्रतियोगिता/Competitions for Students</u> 1. हिन्दी में निबन्ध प्रतियोगिता 2. तज़वीर क्या बोलती है? (लिखित) 3. हिन्दी श्रुतलेखन प्रतियोगिता

3.	28.09.2023	3 बजे अपराह्न से	समापन समारोह तथा पुरस्कार वितरण/ Closing ceremony & puraskar distribution हिन्दी पखवाडे के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं का पुरस्कार।
----	------------	------------------	--

उपर्युक्त प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए कम से कम चार प्रतिभागियों का होना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित प्रतियोगिता रद्द की जाएगी।

दिनांक 28.09.2023 को आयोजित किए जानेवाले पखवाड़ा समापन समारोह में उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के विजेताओं को और वार्षिक टिप्पण एवं आलोखन प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों के पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे।

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में दिलचस्पी से भाग लें तथा इसके लिए अपना नाम दिनांक 12.09.2023 तक प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत करें।

(के. राजशेखर)

प्रधानाचार्य

✓ सेवा में

1. सभी स्टाफ सदस्य
2. सभी फैकल्टी
3. सभी सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति
4. नोटिस बोर्ड
5. वेबसाईट।